(भारत के राजपत्र असाधारण भाग I, खंड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं. 15/2015–20
नई दिल्ली, दिनांकः 03 जुलाई, 2019

विषयः प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के परिशिष्ट–4ञ में संशोधन के संबंध में।

समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 के **परिशिष्ट–4ञ** में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

1. **तालिका में, अंतिम पंक्ति में क्र.सं. 9 पर निम्नलिखित प्रविष्टि की जाती है।**

क्र. सं.	आयात मद (मदें)	सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक आयात खेप की निकासी की तारीख से आयात पूर्व शर्त के साथ निर्यात दायित्व अवधि
9	किसी भी रूप में अखरोट	6 महीने

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः आयात पूर्व शर्त और अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत घटाई गई निर्यात दायित्व अवधि के साथ अखरोट के किसी भी रूप में आयात को परिशिष्ट–4ञ के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से रखा जाता है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft.@nic.in

(फाइल सं. 01/94/180/40/एएम–20/पीसी–4 से जारी)